



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in

Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक 541 / 13 C
सेवा में,

Date 13 / 02 / 2019

✓ उपवन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.06 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
आनलाईन प्रपोजल सं०:- (FP/UK/ROAD/8900/2014)
सन्दर्भ:- वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या 8बी./यू. सी.पी. 06/46/2018/एफ.सी./1671 दि० 12-11-2018
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी गयी ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् कर दिया गया है:-

Sl. No	Objections	Clarifications
1	Reply of point 1, no correction is made in village wise breakup at para B2.3 online Part I.	Correction has been made on village wise breakup column. at para B2.3 online Part I.
2	Reply of point 4 is still not correct.	The original hard copy of letter regarding Justification for locating the project in forest area C/S by DFO sent to State forest Nodal Office, Dehradun through letter no 2671/13C dated 13-09-2018 and has been uploaded same on required place at Para D(i) Online Part I.
3	In reply to point 2 & 7, CWLW simply informed that the aerial distance of diversion area is 7.4 km without any comments as the area falls in ESZ of PA.	The Recommendation certificate of CWLW uploaded with having necessary comments given on it as per directed by NBWL.
4	Regarding point no. 5 Administrative approval uploaded online is still not legible.	New Clearly visible copy of administrative and financial sanction has been uploaded in additional documents at Part I.


अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- 1 - मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र-1 न०

2 - इस कार्यालय के पत्र सं० 2671/13सी० दि० 13-09-18 के प्राप्ति पत्र की छायाप्रति 2 न०

क्र०सं०-2.....

भवदीय,


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)


पत्रांक

541 / 13 C

Date 13 / 02 / 2019


प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर
फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित। (संलग्न मूल सहित तीन प्रतियों में)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

“राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र”

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2709/12-1 दिनांक 10/01/2019 से जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अंतर्गत बांसबाड़ा-किरोली-जलई-गैर कण्डारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित पंचायती वन भूमि जो केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से 7.25 कि०मी० दूरी पर है, के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व वन कर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दृष्टि से और सुदृढ़ होगी के साथ उक्त मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति के साथ दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त परियोजना के निर्माण हेतु संस्तुति दी जाती है।


31.01.2019

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड


85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745691

पत्रांक 2116 / 12-1

देहरादून


दिनांक 04 जनवरी 2019

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को उनके पत्रांक 2716/12-1 दिनांक 11/01/2019 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


31.01.2019

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड


28/1/19



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in

Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक 267) / 13 C

Date / 3 / 09 / 2018

सेवा में,

उपवन संरक्षक,

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।

विषय:-

राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलाई-गौर-कण्डारा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.06 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

ऑनलाईन प्रपोजल सं०:- (FP/UK/ROAD/8900/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी गयी ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् कर दिया गया है:-

Sl. No	Objections	Clarifications
1	In the village wise breakup only village Jalai is mentioned in online Part-I where as in FRA certificate village level proceedings are produced for village jalai and Kandara	Necessary correction has been made In the village wise breakup Part-I, Form-A, Section-B-2.3
2	In the hard copy the certificate shows that the distance of the proposed road from wild life sanctuary/ National Park is less than 10 km.	Certificate of Chief Wildlife warden has been attached in additional information Form-A, Part-I.
3	In DSS analysis it is observed that of the proposed road passes through the CA area.	Area used in Road alignment and muck disposal is 2.06 Ha. on behalf of that double the area for plantation i.e. 4.12 Ha., And In CA KML the Proposed CA area is 4.41 Ha. in which 0.250 KM area of road passes through CA area which is along 0.175 Ha.. So the area of Plantation is double the area of Road alignment.
4	Justification is not authenticated by DFO.	DFO authenticated Justification has been uploaded at para-D (i) in form A, part I.
5	Administrative approval uploaded online is for the year 2008 and not clear.	Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in Part I issued in the year 2008 is valid in the current year 2018-19. Certificate regarding this validity is uploaded in additional information section. and a clear copy of GO is uploaded.
6	CA scheme not found uploaded.	CA Scheme uploaded in additional information Form-A, Part-I.
7	At para 8 (iii) in part-II mentioned Yes and submitted that no negative impact in agriculture field but Chief Wildlife Warden certificate is required.	Correction to be made by DFO office.
8	The proposed road has two segments that connect the existing road. One segment is found to connect the village with existing road which appears quite Justified. Other segment links two existing roads and cuts through forest thereby is unjustified.	The first segment of Road which passes through forest land connects first Existing road to second existing road in which from second segment of road starts. Second existing road is washed out from both the ends with a critical slide zone which will be closed from last 4 to 5 years and that's why this will be a necessity to the construction of segment 1 of this road for connecting the villages from segment 2 of this proposed road.

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

- संलग्न:- 1- वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण-पत्र 1 न०
2- मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र 1 न०
3- वित्तीय स्वीकृति मान्य होने का प्रमाण-पत्र 1 न०

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

पत्रांक

2671 / 13 C

Date 13 / 09 / 2018

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित। (संलग्न मूल सहित तीन प्रतियों में)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

24/09/18
वन विभाग देहरादून
मुख्य सर्वेक्षण निदेशालय
भूमि सर्वेक्षण अधिकारी

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-08 में नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्र सं0-1040/9/08 दिनांक 12-03-08, सं0-1001/(12)गोपेश्वर-पर्व0/08 दिनांक 07-03-08, सं0-1406/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08, सं0-1036(2)/36(492)याता-पर्व/08, दिनांक 10-03-08, सं0-1402/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08, सं0-1403/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08 तथा मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोडा के पत्र सं0-2509/1003 याता0-कुमायूँ/2008 दिनांक 11-03-08 के क्रम में एवं शासनादेश सं0-171/111-2/08-42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 17-01-08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश दिनांक 17-01-08 के क्र0-2 पर उल्लिखित शर्तों के क्रम में उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये 38 कार्यों के आगणनों के कुल लागत रुपये 3785.09 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षापरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 3603.10 लाख (रुपये छत्तीस करोड़ तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की संलग्न विवरण के कॉलम-6 के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जा दर शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि का कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करना। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण, टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. कार्य कराने से पूर्व यदि कोई कार्य या उसका कोई भाग यदि किसी अन्य विभागीय/विभागीय बजट

शासनादेश संख्या- 748 / 11(2)/08-42(प्र0आ0)/07 टी0सी0।। दिनांक 24 मार्च, 2008 का।

शासनादेश सं0 171/11-2/08-4 2(प्र.आ.)07 दि0 17.1. 08 में कार्य का उल्लिखित क्रमांक	कार्य का नाम (शासनादेश दिनांक 17.01.08 के अनुसार)	लम्बाई (किमी. में)	(धनराशि लाख रुपये में)	
			अनुमानित लागत	टी0ए0 सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि
2	3	4	5	6
1	रुद्रप्रयाग से वासवाणा, किरोइ जलई, गैर कण्डारा मोटर मार्ग	4.00	147.00	147.00
7	जनपद चमोली में दुगड्डा- बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	110.25	110.25
8	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग - नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती-जखेट- चौरासैण तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	183.75	183.75
9	जनपद चमोली में गौचर-सिदोली मोटर मार्ग में खालीगाड़ से खरसाई-माटा -ग्वाड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	110.25	110.25
10	जनपद चमोली में विछौना मोटर मार्ग का विस्तार/ पुनर्निर्माण	3.00	61.65	61.35
11	जनपद चमोली में / कर्णप्रयाग- नैनीसैण-डिम्मर मोटर मार्ग डामरीकरण	3.00	75.60	75.60
12	जनपद चमोली में गौचर-शैल-दुवा-कांडा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	5.00	61.50	61.50
13	जनपद चमोली में उमट्टा- मौणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.00	24.60	24.60
17	देहरादून में राजपुर नागल सहस्रधारा मार्ग रिग रोड़ गाडर पुल से चालंग गांव का सड़क नव निर्माण	1.50	127.37	118.00
23	देहरादून में सर्कुलर रोड़ से वैलहम स्कूल तक सड़क का चौड़ीकरण।	1.46	15.93	13.09
45	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी - धनशाली मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
46	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौठखाल-नांद मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
47	जनपद पौड़ी गढ़वाल में धौडखाल-नैरुल मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
48	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मष्टखाल रैस मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	2.00	70.00	70.00
49	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डांसी-कडघर मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
50	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डोबर से पवेख डौरी डोबर मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
51	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मालन नदी	60	97.90	97.44

Photo of
M. S. M.
S. M.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० बि०
कशीमठ (दरप्रयाग)

22/04/08